



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Ref. No. : 47/F.21/MGT/2023

Dated : 06/5/2023

To,

The Deputy Registrar (Judicial)
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi-110001

Subject:- Regarding submission of factual/inspection report in compliance of order dated 01/03/2023 passed by Hon'ble NGT, New Delhi in the matter of O.A. No. 125/2023 News item published in Rashtriva Sahara dated 03.02.2023 titled "Podhon ka pata Nahin, Nirai Godai main lakhon ka khel"(Plants missing, game of lacs in plantations)".

Hon'ble Sir

That the Hon'ble NGT has pass Following order in OA no 125/2023 on dated 01/03/2023.

".....3 We have duly considered the matter and find that the report is incomplete which may facilitate decision. It is not clear as to what is the source of water for watering of the plants particularly when the area is water scarce area and how data has been compiled in absence of identification marks on the plants. We thus feel that to arrive at truth of 2 the matter, another factual report with involvement of higher level officers is necessary.

4.Having regard to the above, we constitute a joint Committee comprising PCCF (HoFF), UP, ICFRE, Dehradun, FSI, Dehradun, District Magistrate, Gonda, nominee of MoEF&CC, Regional Officer, Lucknow and UP State PCB. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within 15 days, undertake visit to the site, interact with the stakeholders and coordinate with concerned local bodies, residents and panchayat and other concerned persons of Institutions. The committee will be free to meet online or offline and take assistance from any other expert/institution. A factual report in the matter may be furnished within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

With respect is stated that in accordance to the compliance of aforesaid order passed by the Hon'ble NGT on dated 01/03/2023 the Tikri Renge in Gonda Division is in question has been jointly inspected by Conservator of Forests, Devipatan Circle, Gonda, Scientist G & Head, ICFRE-Eco Rehabilitation Center, Prayagraj, Assistant Inspector General of Forests, MoEF & CC, UP, Lucknow, Deputy Director (FI), Forest Survey of India, Dehradun, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ayodhya and District Horticulture Officer, Gonda (on behalf of District Magistrate, Gonda) dated on 18/03/2023 and 19/03/2023.

The copy of the factual/inspection report is annexed herewith this letter for your kind perusal.

Enclosure-As above.

Ayodhya
Dated-

With Regards,

(Chandresh Kumar)

Regional Officer

U.P.Pollution Control Board,
Ayodhya

Joint Inspection Report of News item published in Rashtriya Sahara dated 03.02.2023 titled "Podhon ka pata Nahin, Nirai Godai main lakhon ka khel" (Plants missing, game of lacs in plantation)" in OA no. 125/2023

Background:

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 01.03.2023 in the matter of News item published in News items published in Rashtriya Sahara dated 03.02.2023 titled "Podhon ka pata Nahin, Nirai Godai main lakhon ka khel" (Plants missing, game of lacs in plantation)" in case of O.A. No. 125/2023 to ascertain the factual position. Relevant para of Hon'ble NGT order is as under-

- 1. Proceedings have been initiated suo motu in the light of the captioned media report to the effect that in the name of plantation at Tikri range, District Gonda huge funds are being diverted in collusion with the Forest Officers.*
- 2. In pursuance to the notice issued by the Registry of this Tribunal, to the District Magistrate, Gonda and DFO, Gonda, reply has been filed only by the DFO, Gonda to the effect that plantations are successful to the extent of 98.50% and the media report is not factually correct. Range Officer has appeared to support the report.*
- 3. We have duly considered the matter and find that the report is incomplete which may facilitate decision. It is not clear as to what is the source of water for watering of the plants particularly when the area is water scarce area and how data has been compiled in absence of identification marks on the plants. We thus feel that to arrive at truth of 2 the matter, another factual report with involvement of higher level officers is necessary.*
- 4. Having regard to the above, we constitute a joint Committee comprising PCCF (HoFF), UP, ICFRE, Dehradun, FSI, Dehradun, District Magistrate, Gonda, nominee of MoEF&CC, Regional Officer, Lucknow and UP State PCB. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within 15 days, undertake visit to the site, interact with the stakeholders and coordinate with concerned local bodies, residents and panchayat and other concerned persons of Institutions. The committee will be free to meet online or offline and take assistance from any other expert/institution. A factual report in the matter may be furnished within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

List this matter on 19.05.2023.

In compliance of above order passed by Hon'ble NGT, joint committee inspection of Tikri Range in Gonda Division on 18 and 19.04.2023 in the matter of News item published in News items published in Rashtriya Sahara dated 03.02.2023 titled "Podhon ka pata Nahin, Nirai Godai main lakhon ka khel" (Plants missing, game of lacs in plantation)" has been carried out by the following team members-

1. Dr. Anirudh Pandey, Conservator of Forests, Devipatan Circle, Gonda.
2. Dr. Sanjay Singh, Scientist G & Head, ICFRE-Eco Rehabilitation Center, Prayagraj.
3. Dr. Pranay Mishra, Assistant Inspector General of Forests, MoEF & CC, UP, Lucknow.

4. Dr. Kamal Pandey, Deputy Director (FI), Forest Survey of India, Dehradun.
5. Shri Chandresh Kumar, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ayodhya.
6. Dr. D.K Verma, District Horticulture Officer, Gonda.

Salient observation in the light of Hon'ble NGT directions dated 01.03.2023, recommendation based on site inspection and available records are as under:-

The committee met on **18th and 19th April 2023** at Tikri range in Gonda Division. Upon discussing the area of interest got information that the range Tikri is constituted of 7416.87 Ha of TROPICAL MOIST DECIDUOUS FOREST. The area mostly constituted by Shorea robusta forests with associated species (Moist Deciduous Forests as per champion and seths classification). The committee studied the records of all the 48 sites planted in 2022 rainy season and discussed the project estimates as per components provided from preparation of saplings, treatment of area of plantation, pit digging, plantation, weeding frequencies, irrigation frequencies were discussed in detail with the state forest officials.

The range is constituted of 7 beats. Committee upon discussion decided to cover the whole range by visiting at least one plantation in every beat. We were informed that the working plan of the division has expired in 2018-19 and extension up to 2023-24 has been taken from Ministry of Environment and climate change through due procedure and the plantations has been carried out under the provisions of sanctioned working plan extension.

The team visited eight plantation sites representing 16.7% of the total 48 plantation sites, namely,

1. RAMGARH, S. No.4 ,PART 1, 10 Ha, SOCIAL FORESTRY 83, (11000 PLANTS)
2. RAMGARH, S. No.3 ,PART 1, 10 Ha, SOCIAL FORESTRY 60, (11000 PLANTS)
3. RAMGARH BEAT, RAMGARH, S. No.6 , 8 Ha, CAMPA N.C.A , (8800 PLANTS)
4. RAMGARH, S. No.7 ,PART 1, 10 Ha, SOCIAL FORESTRY 60, (11000 PLANTS)
5. RAMGARH, COMP. No.16 ,PART 1, 10 Ha, SOCIAL FORESTRY 60, (11000 PLANTS)
6. RAMGARH, COMP. No. 12, 10 Ha, SOCIAL FORESTRY 60 (11000 PLANTS)
7. LIDEHNA, COMP. No. 1 part 2, 15 Ha, SOCIAL FORESTRY 60 (16500 PLANTS)
8. RAMGARH, COMP NO 2, PART 1, 10 Ha, SOCIAL FORESTRY 60, (11000 PLANTS)

Observation of the committee on site inspection:

1. The plantation sites were present predominantly on Sal and other miscellaneous associated species forest patch and were basically Gap plantation where plantation is done in the forest where sufficient gap is there in canopy for survival of the saplings.
2. The species planted were predominantly Sagaun (Teak), though other species like Jamun, Karanj, Imli and Asan were also there.
3. The saplings planted in rainy season of 2022 were present and as per ocular observation and random counting at 8 sites in all 7 beats (16.7% of total) where the plantations were undertaken the survival was more than 90% through with variable height and growth of the seedlings. This is at par with the prescribed standards (Annexure-I).
4. Height growth of planted seedlings especially those of Teak at some sites was low which may have resulted due to a) damage to seedlings by heavy grazing pressure (toppling by the cattle) and regrowth thereafter; b) damage due to submergence of plantation for 2-3 months, late rains and passage of flood water; c) casualty replacement by the watchers. Regarding plants other than teak, plants were of better height. Though grazing pressure on them was evident.
5. Since plantation project is of 3 years and heat wave has started in the area irrigation via water tanks using labors were being performed.

6. We were informed at the site that the working plan of the division has expired in 2018-19 and extension approval up to 2023-24 has been taken from Ministry of Environment and climate change via due procedure.
7. We also evaluated the report of the committee constituted under the Additional Principle Chief Conservator of Forest/ Chief Conservator of Forest, Monitoring and Evaluation, UP, Lucknow (**Annexure-2**) by PCCF & HoFF, UP as per the guidelines for 100% verification of the plantations. It corresponds with our observation about survival of the plantations.

On 19 April 2023 a meeting with stakeholders comprising Gram Pradhans, Villagers of the forest surrounding area, Nagar Panchayat representatives, the forest plantation watchers and people benefitting from forestry activities was organized. The committee had individual conversation with each of the stakeholders present.

Observation during committee interaction with stakeholders:

1. Most of the representatives from local bodies, Panchayat etc. were aware of plantations carried out in their areas. They reported the plantations are of good quality in the initial year of establishment and will be valuable in future (**Annexure-3: List of stakeholder's/local body members interacted**).
2. There is predominance of Teak in all plantation carried out by Forest department. The reason stated for high teak proportion is its hardness and less palatability to stray cattle.
3. There is presence of stray cattle inside the forests since decades, this forest residing stray cattle are been given name "van gaiya" by villagers. As informed by villagers the behavior of van gaiya is different from normal livestock. They are more aggressive towards people as they have very less interaction with people. In forests plantation the grazing pressure is more by Van gaiyas than normal stray cattle living in the village surroundings.
4. The plantation registers which are the valid authentic documents for any plantation work carried out, were found in place with proper entries of activities, duly signed by the officials/observers and photographs.
5. People's representatives who had verified the works and commented on plantation journals were asked about genuineness of their comments. They were asked how they come on conclusion that plantation is in good or bad shape. Representatives had informed the committee that the survival, heights and protection standards are observed by them in person. We asked representatives that if they know any villager of their area employed in forestry activities in response to which they were able to tell names of some villagers.

The general observation of the committee that representatives were satisfied with the efforts of the state forest department in doing and protecting the plantations.

6. People's representatives were of the view that useful and fruit bearing plants like Bamboo, Amla, Kathal, Guava and Mango tree are a few recommended species by representatives which should be planted on community land and private area.
7. The watchers employed by the Forest department were also interviewed. They were found to be well versed with the planting and aftercare techniques. However, most of them cited heavy grazing pressure especially that of "van gaiya" in their area. Some reported submergence of plantations due to flooding for more than 2 months last year causality replacement done by the Daily wagers Suraksha watchers. (**Annexure-4**).
8. The committee interviewed the concerned FRO whose name appeared in the newspaper report. He denied meeting and providing any information to the scribe. Thus, the forest department view cited in the news report is imaginary and misleading (**Annexure-5**).

Conclusion

1. *Survivals of the plants are found to be more than 90 percent as observed by ocular estimation on the sites visited.*
2. *The plantations are being treated as per sanctioned project estimates by prescribed activities in the project.*
3. *Stake holders were satisfied with the execution of the plantation activities and confirmed the challenges like grazing pressure.*
4. *The Committee observes that the assertion in newspaper report that the plantations are only in papers and not in field is not correct. Further "niraigurai", watering etc. are part of approved management prescription. We could see these were actually carried out in the areas sampled.*



(Dr. Anirudh Pandey)
Conservator of Forests,
Devipatan Circle,
Gonda.



(Dr. Sanjay Singh)
Scientist G & Head,
ICFRE-Eco Rehabilitation
Center, Prayagraj.



(Dr. Pranay Mishra)
Assistant Inspector
General of Forests,
MoEF & CC, UP,
Lucknow.



(Dr. Kamal Pandey)
Deputy Director (FI),
Forest Survey of India,
Dehradun.



(Chandresh Kumar)
Regional Officer, Uttar
Pradesh Pollution Control
Board, Ayodhya.



(Dr. D.K. Verma)
District Horticulture
Officer, Gonda.

List of Annexures

- I. Standard survival percentage year wise.
- II. Committee Report by Chief Conservator of Forest, Monitoring and Evaluation, UP, Lucknow.
- III. List of Stakeholders and local body members interacted.
- IV. List of Daily wagers Suraksha watchers interacted.
- V. Forest Range Officer, Tikri Range Statement.
- VI. Plantation Journals with photographs.
- VII. Pictures of committee working.

वृक्षारोपण संहिता



वन विभाग, उ०प्र०

“अरण्य भवन”

17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

द्वितीय पुनरीक्षण, मई 2016

सफलता प्रतिशत के मापदण्ड

- 6.1 सभी प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रमों में मुख्यतः तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। प्रथम रोपण के द्वारा वन विस्तार करना जिससे भारतीय वन नीति 1988 तथा राज्य वन नीति 1998 के निर्देशों का पालन हो सके वन आभ्युदय में वृद्धि कर पर्यावरण में सुधार करना तथा वन उत्पादन में इन वृक्षारोपण की उपज से वृद्धि करना। इन मुख्य उद्देश्यों के अतिरिक्त खाली बंजर भूमि का उपयोग एवं उसका सुधार तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों से रोजगार उपलब्ध कराना भी एक उद्देश्य होता है। इन वृक्षारोपण कार्यक्रमों में काफी मात्रा में धनराशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगाई जाती है। ऐसी दशा में प्रत्येक वनाधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि यह वृक्षारोपण सफल हो जिससे इसके करने में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति केवल एक उद्देश्य जिसमें रोपण कार्यक्रमों द्वारा रोजगार सुलभ कराना होता है, को छोड़कर तभी हो सकती है, जब रोपण क्षेत्रों के पौधे जीवित रहे एवं पातन चक्र तक एक निश्चित संख्या में प्रति हेक्टेयर स्वरूप्य एवं अच्छी वृद्धि के वृक्ष प्राप्त हो। अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से देखा जाय तो वे सामान्यतः प्रत्यक्ष लाभ की गणना ही करते हैं अर्थात् पातन चक्र की अवधि तक प्रतिवर्ष लागत एवं प्राप्ति की सूचना के आधार पर (इन्टरनल रेट ऑफ रिटर्न) आई0आर0आर0 निकाला जाय तथा यह आई0आर0आर0 प्रचलित बैंक की ब्याज की दर के बराबर या उससे अधिक है तो यह प्रोजेक्ट लाभदायी अर्थात् सफल समझा जायगा। ऐसी गणना में अपरोक्ष लाभ जिन्हें हम पर्यावरणीय लाभ कह सकते हैं उसका समावेश नहीं किया गया होता है। इस सभी का सारांश यह है कि कारकों जिनमें जैवीय, भूमि प्रबन्ध आदि हो को देखते हुए जीवित पौधों में प्रति हेक्टेयर एक संख्या निर्धारित की जाय यदि क्षेत्र में जीवित वृक्ष होंगे तभी वह वृक्षारोपण करेगा, उत्पादन देगा तथा अन्य पर्यावरणीय लाभ देगा।
- 6.2 सभी रोपित क्षेत्रों के पौधों को रोपण के दो वर्ष तक अनुरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाता है तथा यह कहा जा सकता है कि रोपण वर्ष को शामिल करते हुए तीन वर्षों तक पौधों की देखभाल की जाती है तथा इस हेतु उन पर व्यय भी किया जाता है अतः तीन वर्ष की अवधि के बाद रोपित पौधों की तुलना में जीवित पाए जाने वाले पौधों की गणना एवं उसका रोपित पौधों के सापेक्ष प्रतिशत ही वृक्षारोपण की सफलता का एक व्यवहारिक मानक होगा। उसके उपरान्त जब यह वृक्षारोपण स्थापित हो जाता है तो दो वर्ष बाद जीवित पौधों का प्रतिशत सफलता का दूसरा मानक होगा। निश्चय ही प्रथम सफलता के मानक से दूसरा मानक कम होगा।
- 6.3 वृक्षारोपण की सफलता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न रोपण प्रकार एवं भौगोलिक क्षेत्र तथा मृदा वाले क्षेत्रों हेतु रोपण की सफलता के मानक विभागीय उच्चतम तकनीकी समिति द्वारा प्रेषित संस्तुतियों पर शासन के सम्मुख विचारोपरान्त निर्णय लिया गया। जिसके कार्यवृत्त परिशिष्ट II के रूप में संलग्न है। इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि पौधशालाओं में निश्चित सीमा तक क्षति अनुमत्त करने, वृक्षारोपण क्षेत्रों में रोपण के उपरान्त प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति अनुमत्त करने के शासनादेश संख्या-554/चौदह-5-2003-15(10)/93 वन अनुभाग-5 दिनांक 10.07.2003 सफलता निम्न प्रकार होनी चाहिए:-

वर्ष	पश्चिमी गांगेय क्षेत्र		पूर्व गांगेय क्षेत्र		तराई क्षेत्र		विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	
	क्षतिपूर्ति रहित	10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति रहित	10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति रहित	10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति रहित	10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	95	95	95	95	95	95	95	95
1	79	88	90	99	91	100	75	84
2	68	75	83	91	83	91	69	77
3	59	65	76	83	75	82	64	71
4	51	56	70	76	68	74	60	66
5	46	50	65	70	60	65	56	61
6	42	45	61	65	53	57	53	57
7	40	42	57	60	46	49	50	53
8	40	42	54	56	40	42	49	51
9	40	42	52	53	34	35	47	48
10	40	42	51	52	28	29	47	48

तराई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढाकर इसकी सफलता प्रतिशत 3 से 10 वर्षों के लिए पूर्वी गांगेय क्षेत्र के समतुल्य किया जाय।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या-929/29-8-2 लखनऊ, दिनांक, 24, अप्रैल, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
देवीपाटन वृत्त,
उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:- मा०एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित O.A.NO. 125/2023 News item published in Rashtriya Sahara dated 03.02.2023 titled "podhon ka pata nahin, Nirai Godai main lakhon ka khel"(Plants missing, game of lacs in plantation)" में पारित आदेश दिनांक 01.03.2023 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-3082/16-13(NGT) दिनांक 03.04.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के कम में, गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा के टिकरी रेंज में वर्ष 2022-23 में किये गये वृक्षारोपणो (संलग्नक 1) का सत्यापन मूल्यांकन ईकाई से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में उल्लेखनीय है कि गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा रेंज के टिकरी रेंज में वर्ष 2022-23 में किये गये वृक्षारोपणो का सर्वेक्षण कार्य, मूल्यांकन ईकाई, अयोध्याधाम से कराया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया है:-

1. श्री. निलेश कुमार श्रीवास्तव, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी, यूनिट अधिकारी, अयोध्याधाम यूनिट।
2. श्री चन्द्र प्रकाश, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी, अयोध्याधाम यूनिट।
3. श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, वन दरोगा, अयोध्याधाम यूनिट।
4. श्री विनोद कुमार पाठक, वन दरोगा, अयोध्याधाम यूनिट।

उक्त के अतिरिक्त गोण्डा वन प्रभाग के अधिकारी/कार्मिक यथा प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय वनाधिकारी, सम्बंधित वन दरोगा/ सेक्सन अधिकारी एवं सम्बंधित वन रक्षक/ वीट प्रभारी की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराया गया है।

उक्त सर्वेक्षण की स्थलवार रिपोर्ट एवं सारांश, पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक-2)।

संलग्नक - 3420 म्ता/नु२१/२

(सुनील कुमार दूबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ

संख्या- 929 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार दूबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ

संख्या- 929 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार दूबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ

संख्या- 929 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार दूबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ

संख्या- 929 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, गोण्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार दूबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ

24/07/20

रोपण वर्ष 2022-23 में गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत टिकरी रेंज में कराये गये वृक्षारोपणों की स्थलवार सर्वेक्षण रिपोर्ट का सारांश

क्रमांक	योजना	प्रभाग/स्थल का नाम	रेंज नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	रोपित पौधों की सं०	जीवित पौधों की सं०	सफलता प्रतिशत	सर्वेक्षण तिथि	सिंचाई की सुविधा	सुरक्षा व्यवस्था (हों/नहीं)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण (हों/नहीं)	निरीक्षण की संख्या			
												एच०डी०आ 10 द्वारा	डी०एफ०आ 10 द्वारा	वन संरक्षक द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कैम्पा नॉन०सी०ए०	रामगढ़ कक्ष से 14 मनीपुर वीट	टिकरी	12.00	13200	12253	92.83	10.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
2	कैम्पा नॉन०सी०ए०	रामगढ़ बीट (कक्ष से 06)	टिकरी	8.00	8800	8186	93.02	08.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
3	कैम्पा नॉन०सी०ए०	गणेशपुर वीट (करदा कक्ष संख्या 2ए भाग 1)	टिकरी	10.00	11000	10212	92.84	16.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
4	कैम्पा नॉन०सी०ए०	अशरफाबाद वीट रामगढ़ कक्ष संख्या 21 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10387	94.43	12.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
5	कैम्पा नॉन०सी०ए०	रामगढ़ कक्ष संख्या 2 करौदी वीट भाग-2	टिकरी	10.00	11000	10183	92.57	14.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
6	कैम्पा नॉन०सी०ए०	लिदेहेना वीट भाग-1	टिकरी	10.00	11000	10257	93.25	11.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
7	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 1 भाग-1	टिकरी	10.00	11000	10194	92.67	15.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
8	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 1 भाग-2	टिकरी	10.00	11000	10177	92.52	15.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
9	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 1 भाग-3	टिकरी	10.00	11000	10180	92.55	15.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
10	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 2 भाग-1	टिकरी	10.00	11000	10233	93.03	14.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	2	.	2	.
11	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 2 भाग-3	टिकरी	10.00	11000	10267	93.34	12.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
12	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 2 भाग-4	टिकरी	10.00	11000	10234	93.04	14.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
13	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 2 भाग-5	टिकरी	10.00	11000	10208	92.80	14.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
14	सा० वा० 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 2 भाग-6	टिकरी	10.00	11000	10184	92.58	15.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.

यूनिट अधिकारी
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
महोदय

क्रमांक	योजना	प्रभाग/स्थल का नाम	रैंज नाम	क्षेत्रफल (हे० मै०)	रोपित पौधों की सं०	जीवित पौधों की सं०	सफलता प्रतिशत	सर्वेक्षण तिथि	सिंचाई की सुविधा	सुरक्षा व्यवस्था (हो/नहीं)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण (हो/नहीं)	एसओडीआ 10 द्वारा	निरिक्षण की संख्या	वन संरक्षक द्वारा	मुख्य वन संरक्षक द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 3 बकसरा बीट	टिकरी	10.00	11000	10185	92.59	13.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
16	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 3 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10204	92.76	13.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
17	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 3 भाग 3	टिकरी	10.00	11000	10210	92.82	13.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
18	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 4 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10231	93.01	08.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
19	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 4 भाग 3	टिकरी	10.00	11000	10221	92.92	13.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
20	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 5 भाग 1	टिकरी	15.00	16500	15249	92.42	17.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
21	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 5 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10172	92.47	17.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
22	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 7 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10239	93.08	14.04.23	श्रमिक	हो	नहीं
23	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 7 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10185	92.59	14.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
24	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 8	टिकरी	10.00	11000	10219	92.90	12.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
25	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 9	टिकरी	10.00	11000	10292	93.56	10.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
26	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 11	टिकरी	10.00	11000	10252	93.20	09.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
27	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 11 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10194	92.67	09.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
28	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 11 भाग 3	टिकरी	10.00	11000	10188	92.62	09.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.
29	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 12	टिकरी	10.00	11000	10259	93.26	08.04.23	श्रमिक	हो	नहीं	1	.	.	.

यूनिट अधिकारी
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
गति-गति

क्रमांक	योजना	प्रभाग/स्थल का नाम	रेज नाम	क्षेत्रफल (हे० मी०)	रोपित पौधों की सं०	जीवित पौधों की सं०	सफलता प्रतिशत	सर्वेक्षण तिथि	सिंचाई की सुविधा	सुरक्षा व्यवस्था (हॉ/नहीं)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण (हॉ/नहीं)	एस0डी0अ 10 द्वारा	डी0एफ0अ 10 द्वारा	वृक्ष संरक्षक द्वारा	मुख्य वन संरक्षक द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 14 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10216	92.87	10.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
31	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 15 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10184	92.58	10.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
32	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 15 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10192	92.65	10.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
33	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 16 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10249	93.17	09.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
34	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 17 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10241	93.10	09.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
35	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 17 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10236	93.05	09.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
36	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 19 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10265	93.32	10.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
37	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 20 भाग 1	टिकरी	15.00	16500	15359	93.08	12.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
38	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 20 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10243	93.12	12.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
39	सा0 वा0 60	रामगढ़ कक्ष संख्या 21 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10294	93.58	12.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
40	सा0 वा0 60	अशफाबाद बीट घुसवा खास भाग 1 रामगढ़ चादपुर	टिकरी	10.00	20000	18522	92.61	16.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
41	सा0 वा0 60	घुसवा खास भाग 2 रामगढ़ चादपुर	टिकरी	10.00	20000	18506	92.53	16.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
42	सा0 वा0 60	करदा कक्ष सं० 1 बी बक्सरा बीट	टिकरी	10.00	11000	10179	92.54	13.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
43	सा0 वा0 60	करदा कक्ष सं० 2 ए भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10180	92.55	16.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	.	.
44	सा0 वा0 60	लिदेहना कक्ष सं० 1 भाग-2	टिकरी	15.00	16500	15416	93.43	11.04.23	श्रमिक	हॉ	नहीं	1	.	1	.

यूनिट अधिकारी
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

क्रमांक	योजना	प्रभाग/स्थल का नाम	रैंज नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	रोपित पौधों की सं०	जीवित पौधों की सं०	सफलता प्रतिशत	सर्वेक्षण तिथि	सिंचाई की सुविधा	सुरक्षा व्यवस्था (हों / नहीं)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण (हों / नहीं)	एस०डी०अ १० द्वारा	डी०एफ०अ १० द्वारा	वन संरक्षक द्वारा	मुख्य वन संरक्षक द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	सा० वा० 60	लिदेहना कक्ष सं० 1 भाग-3	टिकरी	10.00	11000	10244	93.13	11.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
46	सा० वा० 60	गोण्डा अयोध्या मार्ग कि०मि० 28-36	टिकरी	10.00	11000	10259	93.26	15.04.23	श्रमिक	नहीं	नहीं	1	.	.	.
47	सा० वा० 83	रामगढ़ कक्ष सं० 4 भाग 1	टिकरी	10.00	11000	10293	93.57	08.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
48	सा० वा० 83	रामगढ़ कक्ष सं० 14 भाग 2	टिकरी	10.00	11000	10232	93.02	11.04.23	श्रमिक	हों	नहीं	1	.	.	.
		योग		495.00	562500	522765	92.94					48		3	


 यूनिट अधिकारी
 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
 यूनिट-अयोध्या

मा0 जनप्रतिनिधियों की सूची जिनसे समिति के द्वारा वार्ता की गयी।

क्रम सं०	मा जनप्रतिनिधि का नाम	पदनाम
1	श्रीमती निर्मला	ग्राम प्रधान गनेशपुर
2	श्रीमती ऊषा	ग्राम प्रधान बेनीपुर
3	श्रीमती बिमला	ग्राम प्रधान करौंदी
4	श्री पंचम लाल	ग्राम प्रधान जमुनहा
5	श्री रामतेज	क्षेत्र पंचायत करौंदी
6	श्री धनीराम	ग्राम प्रधान हरदवा
7	श्रीमती सुमन	क्षेत्र पंचायत कटहर बुटहनी
8	श्रीमती रीतू देवी	सदस्य जिला पंचायत नवाबगंज गोण्डा
9	श्रीमती अनुकम्पा चौहान	ग्राम प्रधान लिदेहना ग्रन्ट

स्टेक होल्डर्स, लोकल बाडी एवं ग्रामीणों, वनीकरण दैनिक श्रमिक सुरक्षा से वार्ता की सूची जिनसे समिति के द्वारा वार्ता की गयी।

क्रम सं०	सुरक्षा श्रमिक का नाम	पिता का नाम	निवासी	कार्यरत बीट का नाम
1	श्री सहदेव	श्री लल्लू	मनीपुर जनपद-गोंडा	मनीपुर बीट
2	श्री बेकारू यादव	" गया प्रसाद	हरदवा मनकापुर गोंडा	रामगढ़ बीट
3	श्री भवानी प्रसाद	नीबर	अजब नगर गनेशपुर गोंडा	गनेशपुर बीट
4	श्री शेषराम	रामसूरत	बासुदेवपुर	अशरफाबाद बीट
5	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	रामसुन्दर	करौदी मनकापुर गोंडा	करौदी बीट
6	श्री बसन्त	मूनेश्वर	लिदेहना गोंडा	लिदेहना बीट
7	श्री समशेर	लालता प्रसाद	करौदी मनकापुर गोंडा	करौदी बीट
8	श्री चांद अली	मो० सददीक	करौदी मनकापुर गोंडा	करौदी बीट
9	श्री रामशंकर	अवधराम	सुरजापुर मनकापुर गोंडा	करौदी बीट
10	श्री सोहन लाल	अमेरिका सोनकर	महुआडीह अशरफपुर गोंडा	करौदी बीट
11	श्री सुरेश शुक्ला	रामसूरत शुक्ला	मलियनपुरवा गोण्डा	करौदी बीट
12	श्री राममिलन	रामचन्दर	सोतिया मनकापुर गोंडा	करौदी बीट
13	श्री छट्ठी	रामलाल	शम्भूनगर, बुटाहा	बक्सरा बीट
14	श्री अर्जुन	बरसाती	हरदवा मनकापुर गोंडा	रामगढ़ बीट
15	श्री किस्मत अली	लौवाव	महेशपुर टांगिया	रामगढ़ बीट
16	श्री बृजेश कुमार		महेशपुर टांगिया	रामगढ़ बीट
17	श्री बच्चूलाल	शिव सरन	लिदेहना गोंडा	लिदेहना बीट
18	श्री श्याम सुन्दर	सालिक राम	जमुनहा मनकापुर गोण्डा	मनीपुर बीट
19	श्री अनवर अली	गुलहसन	मनीपुर जनपद-गोंडा	मनीपुर बीट
20	श्री कामता प्रसाद	राम सुन्दर	नरायनपुर गोण्डा	बुटहनी बीट
21	श्री दिलीप	सुरेश	झलमलवा, अशरफाबाद	गनेशपुर बीट
22	श्री विश्वनाथ	बृजमोहन	झलमलवा, अशरफाबाद	अशरफाबाद बीट
23	श्री रामसूरत	नन्कू	बेलभरिया	अशरफाबाद बीट
24	श्री धनीराम उर्फ गोली	त्रिभुवन	महेशपुर टांगिया	रामगढ़ बीट
25	श्री रामवृक्ष	जयजयराम	शम्भूनगर बुटाहा	बक्सरा बीट
26	श्री राम शंकर	रामलाल	लिदेहना ग्रन्ट	लिदेहना बीट
27	श्री शिव मूरत	राम अजोर	मनीपुर जनपद-गोंडा	मनीपुर बीट
28	श्री माधव	गौरीलाल	महेशपुर टांगिया	बक्सरा बीट

Galaxy S22 Ultra




मा० एन जी. वी. प्रोजेक्ट वाद
04 नम्बर 125/2023 से
सम्बन्धित सभिति।

मैं विनोद कुमार नायक औद्योगिक वनाधिकारी
टिकरी के पद पर कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय संघर्ष
समाचार पत्र में प्रकाशित खबर दिनांक 2/2/2023
के सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब है कि

- 1- किली पल्लार को मेरे द्वारा कोई जानकारी
नहीं प्रदान की गई।
- 2- खबर में मेरा नाम प्रकाशित बिना मेरे
संश्लेष के हुआ है।

भवदीय


क्षेत्रीय वनाधिकारी
टिकरी रेंज

नॉड- 54329
(1)

~~संलग्नक 3 (VI)~~
Annexure VI

रोपवानी पंजिका

PLANTATION JOURNAL

रोपवानी का नाम व वर्ष शमगढ वीट अग्रिम भेदावर्ष 202
(वृक्षारोपणवर्ष 2022-23)

योजना का नाम कैम्पा N.C.A

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में सकल 10 हे०

शुद्ध 08 हे०

रेन्ज दिकरी

विकास खण्ड नीवातगंज

जनपद गोण्डा

प्रभाग गोण्डा

GPS रीडिंग N
E

निरीक्षण टिप्पणी



रोपवानी पंजिका

PLANTATION JOURNAL

कैड 52027

रोपवानी का नाम व वर्ष भनीपुर वीट अभिम भूदा वर्ष 2021

योजना का नाम कैम्पा N.C.A

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में सकल 18 हे०

शुद्ध 12 हे०

रेन्ज टिकरी

विकास खण्ड नवानगंज

जनपद गोष्ठा

प्रभाग गोष्ठा

GPS रीडिंग N
E

29 93 निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक	अधिकारी का नाम व पद	टिप्पणी	अनुपालन आख्या
1	2	3	4
23/4/23	डिप्टी कमिश्नर नॉन-मैन	गरीब नीट लगाने 14 मार्च-1 में 12 है. मे 13000 पीछी कारोबार हुआ है पीछी की वरत मक्की है गरीब पीछी के लुगट पर पीछी मक्का लिखाई करले रहे मिले वृत्तम रेखा मार्क के मातुला रहे। 23/4/23	
23/4/23	रोड डेवी (जिला पंचायत सदस्य)	वन विभाग द्वारा टिकरी रेल के वन भूमि में वृक्षा रोपण कराया गया है पीछी की मिठाई - गुडई की जाही है पीछी की मिठाई - गुडई जाही है।	
23/4/23	सुदराम 34 50 नं मोबाइल	रोपण की मिठाई - गुडई एवं मिठाई जगती जिला मार्ग रोपण की जा किता हो. रोपण की वरत देवभागी की जा रही है, 50/1/1	

जन
॥



(1)

रोपवानी पंजिका

PLANTATION JOURNAL

नौड 56423

रोपवानी का नाम व वर्ष.....

योजना का नाम.....

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में सकल.....

शुद्ध.....

रेन्ज.....

विकास खण्ड.....

जनपद.....

प्रभाग.....

GPS रीडिंग N
E

ख-रखाव 21

25

निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक	अधिकारी का नाम व पद	टिप्पणी	सुसुपालन आख्या
1	2	3	4
12/3/23	महेश्वर अ.प्र.क. अ.प्र. व. म. दिल्ली	निराई-गुडाई समप पर करार स.प्र. 21 अ.प्र. - (स.प्र. 10) स.प्र. 2022-23 में वृद्धारोपण कराया गया है। निरि 11000 पौ. व. रोजन दिया गया है। पदा न.दा. के लिए स.प्र. व. निरि स.प्र. व. रोजन कर. स.प्र. व. रोजन पर न.प. पौ. व. रोजन व. रोजन निराई-गुडाई समप पर करार	
19/3/23	कुशभ स.प्र. व. म. मेरठ	मेरठ की निराई-गुडाई व. नि. ग. व. रोजन स.प्र. व. म. पर किया जा रहा है। स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन व. रोजन व. रोजन मेरठ व. रोजन	
12/3/23	सिद्ध देवी (पेक्षा पंचायत) भारत	मेरठ के अ.प्र. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन	
16/3/23		मेरठ व. रोजन व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन में स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन	

रुपा

रुपा

स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन

स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन

स.प्र. व. म. व. रोजन व. रोजन

रोपवानी पंजिका

PLANTATION JOURNAL

रोपवानी का नाम व वर्ष करदा 2A (गनेसपुरबीट) 2021-22

वृक्षारोपण तिथि - 2021-22

योजना का नाम कैम्पा NC.A

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में सकल 16 हे०

शुद्ध 10 हे०

रेन्ज दिकरी

विकास खण्ड वजीर गंज

जनपद गोण्डा

प्रभाग गोण्डा

GPS रीडिंग N
E



गोण्डा वन प्रभाग

निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक	अधिकारी का नाम व पद	टिप्पणी	अनुमोदन आख्या
1	2	3	4
2/3/23	संस्थानिका राजपूत (मानगण)	<p>मैंर क्षेत्र के अन्तर्गत दिक्करी रेन्ज के वन विभाग द्वारा वृक्षों रोपण कराया गया है। जो को निशई गूड़ाई को जाती है। तथा जो को रोपित जाता है। जो अच्छा है।</p> <p>मैंर क्षेत्र संस्था के अन्तर्गत दिक्करी रेन्ज के वन को में वन विभाग ने अपने अभि पर वृक्षरोपण कार्य कराया है औ उच्च कोटि का है। रोपित पौधों का निशई व निराई-गुड़ाई समय-समय पर कराया जाता है। वृक्षरोपण अच्छा है।</p>	



निराई-गुड़ाई करते हुए श्रमिक





सिंचाई करते हुए श्रमिक




99


बोर्ड का फोटो




गठित टीम द्वारा वृक्षारोपण एवं कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण



गठित टीम द्वारा वृक्षारोपण एवं कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण



गठित टीम द्वारा वृक्षारोपण एवं कसाये जा रहे कार्यों का निरीक्षण



गठित टीम द्वारा वृक्षारोपण एवं कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण



